सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2021/203 दर्ज तिथिः—07.09.2021

1. पूनमाराम वल्द मेहराराम
   जाति वजीर निवासी गोदारों की ढाणी गांधवकलां तहसील गुढामालानी

..................वादी

बनाम

1. राजूराम वल्द बादराराम
   कौम विश्नोई साकिन कूका तहसील भीनमाल जिला जालौर
2. हमीराराम वल्द रामकिशन
   कौम विश्नोई साकिन वाडा भाडवी तहसील बागोडा जिला जालौर
3. मनोहरलाल सुथार वल्द रूपाराम
   कौम सुथार साकिन कारोला तहसील सांचौर जिला जालौर
4. उम्मेदाराम वल्द सोनाराम
   कौम कलबी साकिन बालोतरा
5. उदाराम चौधरी वल्द धनाराम
   कौम कलबी साकिन आकोली तहसील चितलवाना जिला जालौर
6. जोधाराम वल्द मिश्रीमल
   कौम दर्जी साकिन गोदारों की ढाणी गांधवकलां
7. दिलीपसिंह वल्द भंवरसिंह
   कौम राजपूत साकिन गांधवकलां तहसील गुडामालानी
8. पंखी देवी पत्नी घेवरसिंह
   कौम रावणाराजपूत साकिन गोदारों की ढाणी गांधवकलां
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एंव उपपंजीयक गुढामालानी
10. प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन गांधव कला
11. मानाराम पुत्र भुताराम जाति कलबी साकिन कारोला तहसील सांचौर

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी सं. 1—3:— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादी सं. 5, 11:— श्री जगदीश कड़वासरा
प्रतिवादी सं. 7, 10:— श्री डालूराम चौधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 24.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 147/127/1.4307 है0, 145/127/4.9228 है0, वाके ग्राम गोदारों की ढाणी गांधवकलां तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का हिस्सा खुला हुआ हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है।

2. प्रकरण में दिनांक 24.04.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2127 दिनांक 27.02.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2127 दिनांक 27.02.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 17.02.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3213—3223 दिनांक 19.12.2025 द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	मौका निरीक्षण की दिनांक 17.02.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3213–3223 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 17.02.2026के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074–2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 147 / 127 / 1.4307 है0, 145 / 127 / 4.9228 है0 मौजा गोदारो की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवष्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

5. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॅार्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॅार्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॅार्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॅार्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 147/127/1.4307 है0, 145/127/4.9228 है0 मौजा गोदारो की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
उदाराम चौधरी पुत्र धनाराम जाति कलबी सा0 आकोली खातेदार	पूर्ण	गोदारों की ढाणी	147 / 127	0.5841 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.5841 है0					
मनोहरलाल सुथार पुत्र रूपाराम जाति सुथार सा0 कारोला खातेदार	1 / 3	गोदारो की ढाणी	147 / 127 145 / 127	0.6475 है0 0.8205 है0	बा0दो0 बा0दो0
राजूराम पुत्र बादराराम जाति विश्नोई सा0 कूका खातेदार	1 / 3				
हमीराराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई सा0 वाडा खातेदार	1 / 3				
कुल किता 02 रकबा 1.4680 है0					
मानाराम पुत्र भुताराम सा0 गांधव कला खातेदार	पूर्ण	गोदारो की ढाणी	147 / 127	0.0074 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0074 है0					

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

पंखीदेवी पत्नी घेवरसिंह जाति रावणा राजपुत सा0 गांधव कला खातेदार	पूर्ण	गोदारो की ढाणी	147 / 127	0.0221 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0221 है0					
पूनमाराम पुत्र मेहराराम जाति वजीर सा0 गांधव कला खातेदार	पूर्ण	गोदारो की ढाणी	145 / 127 147 / 127	3.9455 है0 0.0663 है0	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 4.0118 है0					
दिलिपसिंह पुत्र भंवरसिंह	295 / 1033	गोदारो की ढाणी	147 / 127	0.1033 है0	बा0दो0
प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत सा0 गांधव कला खातेदार	738 / 1033				
कुल किता 01 रकबा 0.1033 है0					
उम्मेदाराम पुत्र सोनाराम सा0 बालोतरा खातेदार	पूर्ण	गोदारो की ढाणी	145 / 127	0.1568 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.1568 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021 / 203 दर्ज तिथिः–07.09.2021

1. पूनमाराम वल्द मेहराराम
   जाति वजीर निवासी गोदारों की ढाणी गांधवकलां तहसील गुढामालानी

..................वादी

बनाम

1. राजूराम वल्द बादराराम
   कौम विश्नोई साकिन कूका तहसील भीनमाल जिला जालौर
2. हमीराराम वल्द रामकिशन
   कौम विश्नोई साकिन वाडा भाडवी तहसील बागोडा जिला जालौर
3. मनोहरलाल सुथार वल्द रूपाराम
   कौम सुथार साकिन कारोला तहसील सांचौर जिला जालौर
4. उम्मेदाराम वल्द सोनाराम
   कौम कलबी साकिन बालोतरा
5. उदाराम चौधरी वल्द धनाराम
   कौम कलबी साकिन आकोली तहसील चितलवाना जिला जालौर
6. जोधाराम वल्द मिश्रीमल
   कौम दर्जी साकिन गोदारों की ढाणी गांधवकलां
7. दिलीपसिंह वल्द भंवरसिंह
   कौम राजपूत साकिन गांधवकलां तहसील गुडामालानी
8. पंखी देवी पत्नी घेवरसिंह
   कौम रावणाराजपूत साकिन गोदारों की ढाणी गांधवकलां

..............असल प्रतिवादीगण

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एंव उपपंजीयक गुढामालानी

..................तकमिली प्रतिवादी

10. प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन गांधव कला
11. मानाराम पुत्र भुताराम जाति कलबी साकिन कारोला तहसील सांचौर

..............असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी सं. 1–3ः– श्री रामजीवन विश्नोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

पूनमाराम बनाम राजूराम
2021 / 203
निर्णय दिनांकः—24.04.2026
प्रतिवादी सं. 5, 11:— श्री जगदीश कड़वासरा
प्रतिवादी सं. 7, 10:— श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 147/127/1.4307 है0, 145/127/4.9228 है0 मौजा गोदारो की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

<table>
<tr><th>खातेदार</th><th>हिस्सा</th><th>ग्राम</th><th>खसरा</th><th>रकबा</th><th>किस्म</th></tr>
<tr><td>उदाराम चौधरी पुत्र धनाराम जाति कलबी सा0 आकोली खातेदार</td><td>पूर्ण</td><td>गोदारों की ढाणी</td><td>147 / 127</td><td>0.5841 है0</td><td>बा0दो0</td></tr>
<tr><td colspan="6">कुल किता 01 रकबा 0.5841 है0</td></tr>
<tr><td>मनोहरलाल सुथार पुत्र रूपाराम जाति सुथार सा0 कारोला खातेदार</td><td>1 / 3</td><td rowspan="3">गोदारो की ढाणी</td><td rowspan="3">147 / 127
145 / 127</td><td rowspan="3">0.6475 है0
0.8205 है0</td><td rowspan="3">बा0दो0
बा0दो0</td></tr>
<tr><td>राजूराम पुत्र बादराराम जाति विश्नोई सा0 कूका खातेदार</td><td>1 / 3</td></tr>
<tr><td>हमीराराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई सा0 वाडा खातेदार</td><td>1 / 3</td></tr>
<tr><td colspan="6">कुल किता 02 रकबा 1.4680 है0</td></tr>
<tr><td>मानाराम पुत्र भुताराम सा0 गांधव कला खातेदार</td><td>पूर्ण</td><td>गोदारो की ढाणी</td><td>147 / 127</td><td>0.0074 है0</td><td>बा0दो0</td></tr>
<tr><td colspan="6">कुल किता 01 रकबा 0.0074 है0</td></tr>
</table>

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested

पंखीदेवी पत्नी घेवरसिंह जाति रावणा राजपुत सा0 गांधव कला खातेदार	पूर्ण	गोदारो की ढाणी	147 / 127	0.0221 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0221 है0					
पूनमाराम पुत्र मेहराराम जाति वजीर सा0 गांधव कला खातेदार	पूर्ण	गोदारो की ढाणी	145 / 127 147 / 127	3.9455 है0 0.0663 है0	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 4.0118 है0					
दिलिपसिंह पुत्र भंवरसिंह	295 / 1033	गोदारो की ढाणी	147 / 127	0.1033 है0	बा0दो0
प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत सा0 गांधव कला खातेदार	738 / 1033				
कुल किता 01 रकबा 0.1033 है0					
उम्मेदाराम पुत्र सोनाराम सा0 बालोतरा खातेदार	पूर्ण	गोदारो की ढाणी	145 / 127	0.1568 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.1568 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:11 IST
Reason: SelfAttested